

28.11.25

पत्रावली पेश हुई।

वादी अधिवक्ता उपस्थित।

विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिस पर वादी वकील की बहस सुनी गई एवं पत्रावली व प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारान के हिस्सानुसार प्राप्त हुए हैं तथा वकील वादी ने अपनी बहस में माफिक विभाजन प्रस्ताव वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम परिहारो की ढाणी तहसील सिवाना के खसरा संख्या 66 रकबा 6.0900 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:-

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	बरंग
1	गलाराम पुत्र जगाराम जाति भील सा. कुडी तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा खातेदार	66	3.0090	केसरिया
	योग	1	3.0090	केसरिया
2	फुसाराम पुत्र अदराराम जाति भील सा. देह खातेदार	66	3.0090	हरा
	योग	1	3.0090	हरा
3	गलाराम पुत्र जगाराम जाति भील सा. कुडी तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा खातेदार, फुसाराम पुत्र अदराराम जाति भील सा. देह खातेदार	66	0.0720	लाल
	योग	1	0.0720	लाल

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना



डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

वादी :-

गलाराम पुत्र जगाराम जाति भील निवासी कुडी तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा
बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. फुसाराम पुत्र अदराराम जाति भील निवासी परिहारो की ढाणी तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नंबर :-122/2025

निर्णय दिनांक :- 28.11.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री श्रवण जांगिड़ अधिवक्ता भिनजानिव मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री दी जाती है कि ग्राम परिहारो की ढाणी तहसील सिवाना के खसरा संख्या 66 रकबा 6.0900 हैक्टेयर भूमि का निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:-


क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	बरंग
1	गलाराम पुत्र जगाराम जाति भील सा. कुडी तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा खातेदार	66	3.0090	केसरिया
	योग	1	3.0090	केसरिया
2	फुसाराम पुत्र अदराराम जाति भील सा. देह खातेदार	66	3.0090	हरा
	योग	1	3.0090	हरा
3	गलाराम पुत्र जगाराम जाति भील सा. कुडी तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा खातेदार, फुसाराम पुत्र अदराराम जाति भील सा. देह खातेदार	66	0.0720	लाल
	योग	1	0.0720	लाल

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।


बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.11.2025 को जारी की गई।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना




आंशिक भू- नक्शा फोरे कॉपी
ग्राम - परिवारों की टाणी
तहसील - सिवाना जिला बालोतरा
बिना - पैमाना





सम्बन्ध :-

- जलाराम
- फुसाराम

■ रारना (संयुक्त
खातेदारी)


Dalmiya
व.पं. Ex-Court
I/R पाफर


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना


तहसीलदार (भू.अ.) सिवाना